कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गैरसैंण

Phone No/ Fax No: 01363.278533 Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 1254/1एल.ए. दिनांक 14/09/2021.

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः— जनपद चमोली के अन्तर्गत ब्लाक गैरसैंण में मैखोली से नलगॉव – लखेड़ी – वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादनू का पत्र संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/282/2015/एफ0सी0/2169, दिनांक 14/03/2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि इस खण्ड़ के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 6 शर्तो की अनुपालन आख्या विन्दुवार प्रेपित की जा रही है—

1 शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि के वदले 4.304 हे0 ग्राम सिलंगी एवं ग्राम– डडियाल गॉव सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 11,99,334.00 मात्र (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) वन विभाग के पक्ष में NEFT/ RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6198110674 Date 27/12/2018 द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी, भुगतान चालान की प्रति संलग्न है। उक्त सिविल भूमि वन विभाग के स्वामित्व के वाहर है। जिसे वन विभाग के पक्ष में सिविल भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी, चमोली के आदेश सं0 784/छब्वीस –04(2018–2019) गोपेश्वर दिनांक 02 नवम्वर, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी है। जिलाधिकारी महोदय, चमोली का पत्र एवं दस्तावेज संलग्न है।

2 शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 /2007–एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 18,18,440.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6198110674 Date 27/12/2018 द्वारा एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि जमा कर दी गई है। भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।

3 शर्त संख्या 03 में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर वढोतरी होती है तो वढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, जिसका की प्रमाण पत्र संलग्न है।

4 शर्त संख्या 04 के अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैव पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन वैंक में जामा किया गया है, चालान की प्रति संलग्न है।

5 शर्त संख्या 05 में सडक निर्माण के पश्चात दोनों किनारों पर इस खण्ड द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantaiton की जायेगी। वचन वद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

6 यह मार्ग मैखाली – खिनसर मोटर मार्ग के किमी0 03 से प्रारम्भ है। जिसका विवरण वन भूमि प्रस्ताव के प्रारूप–11 में किया गया, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

पूर्व में इस खण्ड़ द्वारा हार्ड कापी भारत सरकार को प्रेषित कि गई है, जिसके अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई अतः उक्त विन्दुओं पर अपने स्तर से नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रेपित करने की कृपा करें, जिससे मार्ग में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

14/9/21
(इं0 सुशील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण।

पत्रांक 1254/1LA तदि्दनांकित।

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अधीक्षण अभियन्ता महोदय, 7वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

14/9/21
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण।